


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर
क्रमांक:प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/19/11369


दिनांक 6.12.19.

आदेश

श्रीमती ललिता समदानी, सभापति, नगर परिषद, भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 28.11.2019 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से नगर परिषद भीलवाडा में सभापति का पद रिक्त हो गया है। नगर परिषद भीलवाडा में सभापति का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्रीमती मंजू पोखरना, सदस्य, वार्ड सं. 22 नगर परिषद भीलवाडा को सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक की कालावधि या अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए सौंपा जाता है।



उज्ज्वल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/19/11370-80
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाडा।
10. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्रीमती मंजू पोखरना (महिला सामान्य श्रेणी) सदस्य, वार्ड संख्या 22, नगर परिषद, भीलवाडा।
12. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी